प्रेषक

महानिदेशक. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में,

1. सभी मण्डल आयुक्त (हरियाणा राज्य में)

2. सभी उपायुक्त (हरियाणा राज्य में)

3 सभी उपमण्डल अधिकारी (ना०) (हरियाणा राज्य में)

4. सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य में)

कमांक २ १६८ वर्ग ० एस० जे०ई / एम० डब्लयु / २०१३ 2786-2870

दिनांक 26/2/13

विषय:-

अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 28128-227 दिनांक 12/10/10 तथा 17735-837 दिनांक 28/08/12 के संदर्भ में ।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बुद्ध एवं पारसी धर्मीको अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया जो कि Minority Commission under Section-2 (C) of the National Commission for Minorities Act -1992 के तहत नोटिफाईड है उपरोक्त के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा चुका है ।

अतः हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई नोटीफिकेशन की प्रति पुनः आपको भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त वर्णित धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

कृतेः महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणां, चण्डीगढ ।

Sr. No	
Date	
CERTIFICA	TE OF MINORITY COMMUNITY
As per report of Patwari	Halqua Municipal Commissioner of Ward (in municipal
Areas duly countersigned by Tehsild	lar / Secretary /Executive officer (in municipal Areas) it is
certified that Sh. /Smt /Kum	
Son/Daughter/Wife of Shri	
of Village/ Town /City	Post Office
of Tehsil	in District
of Haryana State whose photo is aff	ixed above belongs to
community which is recognized a	as Minority Community under the Government of India.
Ministry of Welfare Notification No	1/11/93 M.C (D) dated the 22 nd October ,1993 Published in
the Gazette of India , Extraordinary	part -11-section 3, sub -section (ii) dated the 23 nd October
/1993.	
Shri /Smt./Kum	and his / her family ordinarily
resides at the above given address.	
Place:	Sub Divisional Magistrate

Date:-